ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-6* July- 2021
Innovation The Research Concept

भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्याएं एवं समाधान : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Problems and Solutions of Working Women in India: An Analytical Study

Paper Submission: 02/07/2021, Date of Acceptance: 18/07/2021, Date of Publication: 22/07/2021

आशा नागर
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, देवली,
टोंक, राजस्थान, भारत

सारांश

वर्तमान युग नई चेतना व जाग्रति का युग है। आज नारी सशक्तिकरण की लहर हर क्षेत्र में चल रही है। 21 वीं सदी की नारी शिक्षा व समय दोनों के महत्व को समझने लगी हैं। इसी जागरूकता के कारण महिलाएं शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बैंको, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, प्रशासन, सेना, व्यावसायिक संस्थानों, अंतरिक्ष, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी सभी क्षेत्रों में कामकाजी महिला के रूप में सक्रीय भूमिका निभा रही हैं। प्रस्तुत आलेख में भारत में कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में तथा आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में सहायक व उसमें बाधक बन रहे विभिन्न कारकों का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। कामकाजी महिलाओं की हालात/आलम तथा परेशानियों से सम्बन्धित यह अध्ययन व्यावहारिक विश्लेषण व ऐतिहासिक पद्धतियों द्वारा किया गया हैं जिसमें सन्दर्भ पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं व गूगल वेबसाइटों द्वारा प्राप्त द्वितीय स्त्रोतों का सहयोग लिया गया है ।

The present era is the era of new consciousness and awakening. Today the wave of women empowerment is going on in every field. The women of the 21st century are beginning to understand the importance of both education and time. Due to this awareness, women are playing an active role as working women in educational institutions, hospitals, banks, government and non-government offices, administration, military, commercial institutions, space, art, literature, science, technology in all fields. In the present article, an attempt has been made to critically study the various factors that are helping and hindering in the process of empowerment of working women in India and in the way of becoming self-reliant. This study related to the situation / situation and problems of working women has been done by practical analysis and historical methods, in which the help of reference books, magazines and other sources obtained from Google websites have been taken.

मुख्य शब्द : कामकाजी महिला, स्त्री शक्ति, सशक्तिकरण, नौकरीपेशा, समस्याएं, दोहरी भूमिका, वेतनभोगी, भेदभाव ।
Working Women, Women Power, Empowerment, Employed, Problems, Dual Role, Salaried, Discrimination.

प्रस्तावना

''महिला'' अर्थात जननी में सृजन, पोषण और परिवर्तन की क्षमता का समावेश होने के कारण वह अपने आप में सम्पूर्ण है। सृष्टि स्वरूपा स्त्री जन्म भी देती है और जीवन भी। उसमें अनेक भाव समाहित होतें हैं। अपने हर रूप, हर भाव में वह सृजन, चेतना व शक्ति का प्रतीक है। उसकी सहभागिता के बिना इस सृष्टि का बचा रहना भी असंभव है। भारतीय संस्कृति में स्त्री को हमेशा शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है। तथा भारतीय समाज में नारी की सम्मानजनक, गरिमामय प्रतिष्ठा है क्योंकि जो काम पुरूष के लिए असंभव हो सकते हो उन्हें पूर्ण करने में वह सक्षम है।

वैदिक काल से ही नारी आदिशक्ति के रूप में जानी व मानी जाती रही है। भारतीय नारी आदि समय से न केवल गृहिणी के रूप में अपितु विदुषी के रूप में भी सम्मानित होती रही है। लेकिन मध्यकाल में राजनीतिक वातावरण के बदलाव के साथ ही सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन के निशान दिखाई देने

लगे जिसका प्रभाव नारी की स्थिति पर देखने को मिला, परिणामस्वरूप वैदिक काल में जो नारी शक्ति स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा तथा आदर्श भारतीय नारी के रूप में शोभित थी वही नारी राजदरबारो की शोभा व कुलीन वर्ग के लिए मनोरंजन के साधन के रूप में एक भोग्या बन कर रह गई। धीरे–धीरे स्थितियों व परिस्थितियों ने करवट लेना प्रारम्भ किया। पुरूष समाज की शोभा व खिलोना रही स्त्री संकीर्णता व बन्धनों की बेडियों को तोड़ने हेतु संघर्षशील रूप में उठ खड़ी हुई। अंग्रेजी सत्ता से स्वतन्त्रता मिलने के बाद भारतीय संविधान द्वारा स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार व अवसरों की समान रूप से प्राप्ति, सामाजिक, आर्थिक न्याय तथा स्वतन्त्रता की बदौलत आज भारत की महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक रूप में सुधार आया है।

महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें शिक्षा का अधिकार तथा गरिमापूर्ण सुरक्षित जीवन दिये जाने की दिशा में भारत सरकार ने अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन किया। भारतीय संसद द्वारा भी महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा हेतु कई कानून बनाए गए जिससे कि शिक्षित, जागरूक तथा प्रगतिशील महिलाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। भारत में महिलाएं पुरूषों के समान आय उत्पादन कार्य करके, एक वेतन भोगी या कामकाजी स्त्री के रूप में देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में बराबर सहायक बन रही है। महिला की भागीदारी को मजबूत करने तथा अवसरों की प्राप्ति का रास्ता सरल करने की दिशा में उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई जिसके परिणाम स्वरूप आज महिलाएं उन्नति के प्रत्येक पायदान पर अपनी विजय का पताका लहरा रही हैं तथा हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ती जा रही है। एक आत्मनिर्भर, कामकाजी महिला के रूप में स्त्री आज वो सभी कार्य कर रही है जो केवल पुरूषों के अधिकार क्षेत्र के माने जाते थे। स्त्रियों की प्रगति व उन्नति के पीछे संघर्ष की कहानी दुःख व पीड़ा से भरी हुई है। उक्त आलेख में नौकरीपेशा महिलाओं की प्रगतिपथ के बीच आने वाली बाधाओं तथा घर व कार्यस्थल के बीच भागती दोहरी जिन्दगी के संघर्ष की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोधपत्र की प्रविधि विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक तथा व्यवहारिक है। शोध पत्र को उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न सन्दर्भ पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं तथा विभिन्न वेबसाइटों का प्रयोग किया गया है

शोधपत्र का उद्देश्य

शोधपत्र कुछ उद्देश्यों को लेकर ही लिखा जाते हैं। उन उद्दश्यों की पूर्ति का प्रयास शोधपत्र में किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र के भी अपने उद्देश्य निम्न है –

1. भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया तथा आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में सहायक व बाधक कारकों का अध्ययन करना।
2. भारत में कामकाजी महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना।
3. वर्तमान भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं की वास्तविक स्थिति तथा घर व कार्यस्थल के बीच पिसती दोहरी जिन्दगी के संघर्ष पर प्रकाश डालना का प्रयास किया गया है।

महिला सशक्तिकरण व कामकाजी महिलाएं

भारत कृषि प्रधान देश है। इसमें महिलाएं विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं आज भी खेती के काम हेतु पुरूषों के संग घर से बाहर जाती है। इसी के साथ महिलाएं सदा से ही कामकाजी रही है लेकिन घर के कामों में कोल्हू के बैल की तरह बिना अवकाश के जुटी रहती हैं। घरेलू कामों को स्त्री का जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले इस समाज में न तो उनके कार्यो की प्रशंसा होती है न ही उनका मूल्य समझा जाता है। यानि उनके कृषि व गृहणी के रूप में कार्यों का मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्हें वेतनभोगी नहीं माना गया।

भारत में महात्मा गाँधी व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने देश की प्रगति व विकास की दृष्टि से महिला शिक्षा व सशक्तिकरण के महत्व को पहचाना तथा महिलाओं को अधिकारों के प्रति जाग्रत करने के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। संविधान निर्माता भी यह जान गये थे कि देश व समाज की उन्नति की कसौटी उसमें रहने वाली महिलाओं की प्रगति से ही है। सही अर्थो में लोकतन्त्र की सार्थकता भी तभी सिद्ध हो सकती है जब स्त्री व पुरूष मिलकर निर्णय लेने में स्वतन्त्र हो। परिणामस्वरूप संविधान में जैन्डरगेप को कम करने के लिए पुरूषों के समान स्त्रियों को जो अधिकार प्रदान किये गये उनसे महिलाएं पढ–लिखकर उत्पादन कार्य करने के लिए घर से बाहर निकली तथा कामकाजी महिला के रूप में पहचान प्राप्त करके पुरूषों के कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहीं हैं। इस प्रकार हम जान पाते हैं कि यह ''कामकाजी'' शब्द का तमगा महिलाओं को आजादी के बाद से ही मिलना प्रारम्भ हुआ तथा महिलाओं के कार्यों का गृहणी व कामकाजी के रूप में विभाजन हुआ। यहीं से महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी उठाने का संघर्ष प्रारम्भ हुआ जो दिनों–दिन बढ़ता ही जा रहा है।

कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति पर चर्चा करने से पहले यहाँ यह जानना जरूरी है कि इस कामकाजी शब्द के अर्थ में क्या–क्या समाहित हैं। 'कामकाजी' शब्द का अंग्रेजी पर्याय 'वर्किंग' होता है। वर्किंग शब्द मूल में ऐसा काम है जो बौद्धिक व शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करके जीविकोपार्जन हेतु धन कमाने के लिए किया जाता है। ऐसी महिलाएं जो अर्थ प्राप्ति हेतु काम करती है वे सब ''वर्किंग वुमन'' कहलाती है। जैसा कि जोसेफ मिनातून ने कहा है कि ''अर्थोपार्जन करने वाली महिलाएं कामकाजी हैं।'' इस दृष्टि से तो वो सभी महिलाएं कामकाजी हैं जो घर में रहकर या बाहर जाकर काम के बदले जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त करती है लेकिन वर्किंग या कामकाजी महिला के रूप में वे महिलाएं ही पहचानी जाती है जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में किसी पद पर रहते हुए नियमानुसार वेतन, भत्ते, सुविधाएं तथा अवकाश प्राप्त करती हैं। इस प्रकार कामकाजी शब्द का अर्थ व्यापकता लिए हुए हैं। इसमें शिक्षा व प्रशिक्षण ग्रहण करने वाली महिलाएं, घर की नौकरानी से लेकर विभिन्न पदों पर पदासीन महिलाएं

तथा घर से बाहर निकलकर विभिन्न प्रकार के काम करके प्रतिदिन धन अर्जन करने वाली सभी स्त्रियां शामिल हैं। अर्थात वर्तमान समय के मद्देनजर यह जरूरी नहीं है कि धनोपार्जन के लिए महिलाएं घर से बाहर जाकर ही काम करें। संचार व तकनीकी तथा कोरोना जैसी महामारी के दौर में आज विभिन्न कार्यों में दक्षता प्राप्त व कुशल महिलाएं घर में रहते हुए ही बच्चों को पढ़ाकर, नृत्य व फैशन डिजाइनिंग, कुकिंग सिखाकर, ऑनलाइन व्यापार करके, सिलाई–कढ़ाई करना व सिखाकर आदि कार्यों द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है लेकिन इन्हें वर्किंग की उपाधि नहीं दी जाती। यें ''वर्किंग–कम–हाउस वाइफ'' ज्यादा जानी जाती है। महिलाओं की इस उपलब्धियों के पीछे महिला सशक्तिकरण की अहम भूमिका रही हैं।

सशक्तिकरण एक सामाजिक कारक एवं बहुआयामी धारणा है। व्यक्तियों की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से इसका अटूट सम्बन्ध है। सशक्तिकरण की कोई अंतिम सीमा नहीं होने के कारण यह एक सतत् प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण का आशय महिला को आर्थिक रूप से शक्ति सम्पन्न बनाना, सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, शिक्षा व संसाधनों पर नियन्त्रण एवं इनकी सुलभ रूप से प्राप्ति, आत्मनिर्भरता, अधिकारों की प्राप्ति तथा स्वतन्त्रता की मांग आदि से लिया जाता है। चूंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है तथा इनके सशक्तिकरण तथा सहयोग के बिना हमारे देश की विकास यात्रा के चरम लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हैं अतः भारत में महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने तथा उनका देश के विकास में बराबर का सहयोग प्राप्ति के लिए आजादी के बाद से ही सरकार की नीतियों में परिवर्तन आया। प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप लाखों स्त्री–पुरूषों को रोजगार के अवसर मिले, शिक्षा के तंत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए जिनका लाभ स्त्रियों को भी मिला। पांचवीं व आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान महिलाओं के कल्याण के स्थान पर उनके विकास पर तथा महिलाओं को देश की विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया। स्त्री सशक्तिकरण के प्रयासों से महिला शिक्षा का ग्राफ बढ़ा। स्त्रियां भी पढ़–लिखकर नौकरियॉ करने में समर्थ होने लगी तो परिणामस्वरूप कामकाजी महिलाओं का एक नया वर्ग अस्तित्व में आया।

इन प्रगतिशील कामकाजी महिलाओं सहित भारत की प्रत्येक महिला के जीवन में बदलाव लाने में मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्वों जैसे संवैधानिक प्रावधानों, महिला हित में बने विभिन्न कानूनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में देश व राज्यों की सरकार के प्रयास व महिला केन्द्रित विभिन्न योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई है। गर्भ में पल रही कन्या से लेकर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक सुरक्षात्मक कदम उठाए गये। इन प्रयासों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सुरक्षा हेतु कानून, पेनिक बटन जैसी सुविधाएं, महिला हेल्पलाइन आदि सुविधाओं ने महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ कानून में बदलाव कर 26 हफ्ते का सवैतनिक अवकाश का प्रावधान, कार्यस्थल की सुरक्षा हेतु यौन शोषण के खिलाफ कानून तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिनियम बनाकर सशक्तिकरण की दिशा में कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल का सुरक्षित माहौल के लिए सुविधाएं दी गई है। महिला सशक्तिकरण के इन प्रयासों ने कामकाजी महिलाओं को बड़ा सम्भल प्रदान किया ।

भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की समीक्षा

वर्तमान समय में भारतीय समाज और नारी की स्थिति में परिवर्तन आया। नारी के प्रति समाज व परिवार की सोच भी बदल रही है। महिला सशक्तिकरण व रोजगारपरक होने के कारण एक तरफ उनकी परिस्थिति में परिवर्तन आया हैं तथा वो खुली हवा में अपने सपनों की उडान भर रही हैं तो दूसरी तरफ इस उडान के पीछे दुःख, पीड़ा व समस्याओं की दीवार भी बढ़ी है। परिवार को मजबूत आधार प्रदान करने की लालसा लिए कार्य करने वाली महिलाओं को कदम–कदम पर अनेक बाधाओं को झेलना पड़ता है। जिनमें प्रमुख समस्याओं व बाधाओं का समीक्षात्मक वर्णन इस प्रकार हैः–

कामकाजी महिला और परिवार पर चर्चा की जाए तो यह तथ्य नजर आता है कि अधिकतर परिवार शिक्षित, समझदार, नौकरीपेशा व घरेलू कार्यों में दक्ष ग्रहणी को प्राथमिकता देते हैं। कमाऊ बहु या पत्नि तथा दक्ष ग्रहणी की अभिलाषा से ही एक स्त्री को दोहरी भूमिका निर्धारित हो जाती है जिसे उसे न केवल निभाना है बल्कि उसमें निपुण भी होना होता है। परिवार में स्त्री –पुरूष दोनों का कामकाजी होना परिवार का आर्थिक दृष्टि से सम्पन्नता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण बनता है। परिवार की सोच कामकाजी बहु या बेटी के प्रति सहयोगात्मक तथा पति द्वारा परिवार व पत्नि की जिम्मेदारियों व कार्यों में तालमेल बनाने की मानसिकता रखी जाती है तो परिवार में सन्तुलन बना रहता है। कामकाजी स्त्री को मानसिक परेशानी, बच्चों की देखभाल की चिन्ता से कुछ राहत मिल जाती है तो वह अपनी पूरी क्षमता से कार्यस्थल की जिम्मेदारियों को पूरा कर दोहरी जिन्दगी में सन्तुलन बनाने की कारगर कोशिश कर सकती है लेकिन परिवार में सदस्यों की रूढ़ीवादी सोच, पत्नि का गुलाम कहे जाने के डर से पति द्वारा उसका सहयोग न करपाना, नौकरी वाली बहु अपनी कमाई का सारा हिसाब दे तथा बच्चों व घर–परिवार को भी वही संभाले, घर का काम खत्म करके बाहर जाये व आने के बाद सभी का उसी महिला पर निर्भर रहने वाली मानसिकता से आज भी हमारा समाज मुक्त नहीं हो पाया है। वर्तमान में परिवार की इसी कूपमण्डूप मानसिकता के चलते आत्मनिर्भर महिलाएं एकल परिवारों को तथा परिवार से दूर रहकर काम करने को प्राथमिकता देती हैं तथा आर्थिक मामलों में परिवार वालों के दबाव के चलते कामकाजी महिलाओं के तलाक के मामलों में वृद्धि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

वर्तमान में खबरों पर गौर किया जाए तो बहुत सी ऐसी महिलाएं है जो न्यायालय, सेना, बहुराष्ट्रीय

कम्पनियों, बैंकों, पुलिस प्रशासन आदि में किसी बड़े पद पर नियुक्ति या पदोन्नति से इनकार कर रही है। वे उस पद के दायित्वों को निभाने में पूर्ण सक्षम तथा योग्य होते हुए भी केवल पारिवारिक कारणों से अपने कैरियर को दाव पर लगाने का कदम उठाने को मजबूर है। कामकाजी स्त्री के लिए परिवार व कार्य के दायित्वों के बीच सामंजस्य बिठाकर नौकरी कर पाना किसी चुनौति से कम नहीं हैं।

भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति दोहरी मानसिकता तथा घर की पूरी जिम्मेदारी अकेली महिला के माथे मढ़ने वाली सोच रखने वाले परिवार से कामकाजी महिला को अपने कार्यों में सहयोग चाहिए न कि इनसे मुक्ति। क्योंकि उसे घर के साथ कार्यस्थल पर भी स्वयं को सिद्ध करना होता हैं, जहाँ भी चुनौतियों का अम्बार लगा रहता है। अतः दोहरी भूमिका में बेहतरीन सामंजस्य बिठाने के लिए उसे पारिवारिक संबल व भावनात्मक सहयोग चाहिए ताकि उसे नौकरी छोड़ने का विकल्प चुनना न पड़ें। इस तरह दो नावों में सवार होकर अपने व्यावसायिक लक्ष्यों तथा निजी प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए संघर्षमय जीवन में प्रगति के मार्ग पर चलते रहना किसी भी पुरूष के लिए नामुमकिन हो सकता है लेकिन आज की सशक्त महिला प्रत्येक बाधा को पार करते हुए दोहरी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने हेतु प्रयासरत है। परिवार को मजबूत आधार प्रदान करने की लालसा लिए कार्य करने वाली महिलाओं को कदम–कदम पर अनेक बाधाओं को झेलना पड़ता है। जिनमें प्रमुख समस्याओं व बाधाओं का समीक्षात्मक वर्णन इस प्रकार हैः–

1. कामकाजी स्त्री एक तरफ घरेलू समस्या से जुझती है तो दूसरी तरफ कार्यस्थल का सुरक्षित व सहज नहीं होना भी कामकाज में उसकी भागीदारी को हतोत्साहित करती है। कार्यस्थल पर यौन शोषण से सुरक्षा की गारन्टी देने वाले कानूनों की मौजूदगी में भी आज कामकाजी महिलाओं को सहज माहौल मिलना एक जादूई चिराग (मृगतृष्णा) जैसा है जो महिलाओं की उम्मीदों से परे है। लगभग सभी प्रकार व श्रेणी के कार्यस्थलों पर चयन व पदोन्नति के नाम पर यौन शोषण की सौदेबाजी, नियोक्ता व सहकर्मियों द्वारा छेड़छाड़ व महिला की कमजोरी का फायदा उठाने जैसे घृणित समस्याओं का सामना कामकाजी महिला को हर कदम तथा हर स्तर पर करना पड़ता है। आर्थिक रूप से नौकरी करने की मजबूरी के पीछे महिलाएं इन सब को एक कड़वे घूंट की तरह पीती रहती हैं। काम से निकाले जाने व सामाजिक तिरस्कार के डर से वे कानून की मदद लेने से भी कतराती हैं। सिनेमा जगत की चकाचौंध रोशनी से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली हस्तियों ने भी **'मी–टू'** कार्यक्रम के दौरान काम, अवसर देने तथा प्रसिद्धि के बदले सौदे स्वरूप हुए यौन शोषण का खुलासा करने की हिम्मत जुटाई। यद्यपि वो इसके लिए साहस काफी समय बाद जुटा पाई लेकिन इस हिम्मत ने रंगीन दुनिया के पीछे के मार्मिक पीड़ा रूपी स्याद रंग की सत्यता को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि अपनी अस्मिता की बलि दिये बगैर शायद ही कोई मंजिल पाई जा सकती है। भारत में महिलाओं को सुरक्षित व अनुकूल माहौल तथा सही अवसर मिलता रहे तो शायद ही ऐसा कोई काम हो जिसमें वो अपनी दक्षता साबित न कर सके क्योंकि उनमें क्षमताओं व आकांक्षाओं की असीम संभावनाएं हैं जिससे वे पुरूषों से कहीं भी किसी भी बात में पीछे नहीं रह सकती। इसके लिए नियोक्ता को यौन उत्पीड़न के मामलों में अपने कार्य स्थल पर **"जीरो–सहिष्णुता"** नीति लागू करनी चाहिए। ऐसी शिकायत की अविलम्ब व गोपनीय रूप से जाँच हो ताकि महिलाओं का आत्मविश्वास बना रहे तथा उन्हें नौकरी छोड़ने का निर्णय न लेना पड़े। साथ ही अपनी प्रतिभा से संस्थान को लाभान्वित करने हेतु बिना बाधा के दायित्व निभाती रहे।
2. कामकाजी स्त्रियां कार्यस्थल पर भी दोहरी समस्याओं से जूझती हैं। एक तरफ उन्हें किसी न किसी रूप में यौन शोषण की पीड़ा झेलनी पड़ती है तो दूसरी तरफ उनके श्रम को पुरूषों की तुलना में कम आंका जाता है और पुरूषों से उनका कौशल किसी भी रूप में कम न होने पर भी तुलनात्मक रूप से कम वेतन दिया जाता है। लिंक्डइन अपॉच्युनिर्टी इन्डेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में महिलाओं के साथ कार्य स्थल पर लैंगिंक भेदभाव किया जाता है तथा वेतन व पदोन्नति के लिए भी संघर्ष करने के बावजूद भी उन्हें कम वेतन मिलता है। सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 37 फीसदी महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन नहीं मिलता है। हम महिलाओं को पुरूषों के बराबर खड़ा करने की वकालत, तर्क–वितर्क करते है लेकिन कैसे उन्हें पुरूषों के जितना सम्मान व हक मिल सकता है इसका समाधान अभी तक सामने नहीं आ सका है। वक्त का तकाजा है कि महिलाओं के बारे में सोच बदलने का और नियोक्ता से ज्यादा सहकर्मियों को अपनी सोच बदलने की ज्यादा जरूरत है। महिलाओं की क्षमता और काम को कम आंकने तथा उन्हें अबला या कमजोर समझने की मानसिकता को खत्म करना होगा। काम का बंटवारा व आंकलन लैंगिक नजरिये से नहीं, परिणाम पर आधारित होना चाहिए।
3. कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था में मिलने वाली मातृत्व अवकाश की सुविधा के कारण कई गैर सरकारी संगठन या तो महिलाओं का चयन ही नहीं करते या अविवाहित होने की शर्त चयन प्रक्रिया में डाल देते है। क्योंकि कामकाजी महिला को मिलने वाले इस अधिकार से नियोक्ता को दोहरा नुकसान होता है। एक तरफ महिला कार्मिक की अनुपस्थिति से काम का नुकसान होता है तो दूसरी तरफ महिला को बिना काम किये ही सवेतन अवकाश से संस्थान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आज हम नजर डालें तो देख पायेंगे कि जितनी भी बड़ी कम्पनियां या उद्यम है उनमें सर्वोच्च पदों पर महिलाओं की संख्या नगण्य मात्र है क्योंकि पुरूषवादी

अहम के कारण उसे 21 वीं सदी में भी महिला के निर्देशन व आदेश में कार्य करना स्वीकार्य नहीं है।

कामकाजी स्त्री चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित उसका परिवार तथा वह स्वयं भी चाहती हैं कि वह ऐसा रोजगार चुने जिसमें कार्य का समय निर्धारित हो, काम के कायदे निर्धारित हो, राजनीतिक प्रभाव से परे हो तथा सुरक्षित कार्य स्थल हो। इसी कारण महिलाओं द्वारा सेना, फौज, न्यायिक, बड़ा प्रशासनिक पद तथा अन्य खतरनाक एवं कठिन कार्यों के क्षेत्रों को कम ही प्राथमिकता दी जाती है। कार्य के दौरान घरेलू दायित्व व कार्य स्थल की समस्याओं के फलस्वरूप ही वर्तमान में ''शैक्षणिक क्षेत्र'' महिलाओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। शिक्षा जगत में नौकरी करने की अनुकूलता व संतोषजनक वेतन होने पर भी महिला को दोहरी भूमिका से निजात नहीं मिलती लेकिन कुछ कठिनाईयां जरूर कम हो सकती है।

कामकाजी महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित समस्याओं व दोहरी भूमिका के दबाव होने का मतलब यह कतई नहीं कि महिला का अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनने के उसके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े हैं। आधुनिक युग की नारी ने शिक्षा का महत्व समझा है तथा अनेक बाधाओं का सामना करते हुए वह शिक्षा ग्रहण करती है तथा शिक्षा को उपयोगी बनाने हेतु यथा संभव कोई न कोई नौकरी या व्यवसाय कर रही है। पुरूषों के समान ही महिला द्वारा नौकरी करना या द्रव्य उत्पादक कार्य करना समय की मांग है। आत्म निर्भर बनकर आत्म सम्मान का जीवन जीने की इच्छा, भौतिक समृद्धि की महत्वाकांक्षा, बच्चे व परिवार को बेहतर जीवन मुहैया करना, ग्रहण की गई शिक्षा व प्रशिक्षण को सार्थक बनाने हेतु, रहन–सहन के बढ़ते स्तर को बरकरार रखने तथा प्रगति की नई ऊँचाइयों तक पहुँचने की चाहत, बढ़ती महंगाई की मार व सामाजिक प्रतिष्ठा तथा पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का 'गर्व' आदि कारणों ने स्त्रियों को पुरूषों के समान वेतनभोगी कार्य करने को प्रेरित किया जिससे कि उसे दूसरों पर निर्भरता या घर की चारदीवारी में सिमटी जिन्दगी से आजादी मिल सके।

पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं द्वारा सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में न केवल अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया है बल्कि सफलता का ग्राफ में भी उनकी संख्या पुरूषों से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। यह तो उस परिस्थिति में है जिसमें उन्हें पुरूषों के जितनी सुख–सुविधा, अवसर, शिक्षा व उचित माहौल भी मुश्किल से नसीब हो पाता है लेकिन स्त्री शक्ति हर बाधा को धैर्य से चीरती हुई हर जगह अपना योगदान दे रही है। इसका जीता जागता दृश्य कोरोना महामारी के संकटाधीन परिस्थितियों में देखा जा रहा है। कोरोना की आपदा से जूझते भारत में देश की महिलाओं ने गजब की जीजिविषा दिखाई। फ्रन्ट लाइन वर्कर्स के रूप में महामारी से लड़ने वाले यौद्धाओं से लेकर घर के सदस्यों को संभालने वाली ग्रहणियों तक महिलाएं मेहनत और मनोबल के दम पर देश और समाज की रीढ़ बनी। कामकाजी महिलाओं ने 'वर्क फ्रॉम हॉम' के तहत ऑफिस व घर के दायित्वों को बखूबी निभाया है। विपदा के दौर में वे पुरूषों के साथ–साथ हैल्थ वर्कर, पुलिस, सफाईकर्मी, क्वारंटाइन सेन्टर पर, घर–घर जाकर सर्वे करने तथा वेक्सीनेशन जैसे मोर्चो पर उनकी भागीदारी किसी से छुपी नहीं है। घर से बाहर जाकर काम कर पाने के पीछे परिस्थितियों के सन्दर्भ में स्त्री–पुरूष की स्थिति में जमीन–आसमान का अन्तर होता है, लेकिन महिलाओं के जज्बे में कतई कमी नहीं होती। इस हौसले को बनाए रखने के लिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सिर्फ पति का संबल, संतोषजनक पारिश्रमिक तथा कार्य स्थल पर सुरक्षा की निश्चितता तथा परिवार द्वारा उसके दोहरी भूमिका के संघर्ष को समझकर प्यार और सहयोग मिल जाये तो वह दक्षगृहणी व कुशल कामकाजी महिला के रूप में सुपर वुमन बनकर अपने सभी दायित्वों को सहजता से पूर्ण करने से पीछे नहीं हट सकती।

निष्कर्ष

भारतीय समाज आज सभी क्षेत्रों में रूढ़िवादिता को पीछे छोड़ प्रगतिशील विचारधारा को अपना रहा है। घर की चौखट तक सीमित थी जिनकी जिन्दगी आज उन महिलाओं में अन्तरिक्ष की उड़ान भरने का साहस पुरूषों से किसी मायने में कम नहीं दिखता। महिलाओं की इस उमंग भरी जिन्दगी में महिला सशक्तिकरण के प्रयास, सरकारी योजनाएं, अधिकार व कानूनों तथा स्वयं महिला के हौसले ने उड़ान भरने में भरपूर आधार प्रदान किया है। लेकिन आज भी भारत के लोगों की सामाजिक सोच पितृसत्तात्मक प्रकृति से बाहर नहीं निकल सकी है। आज महिलाएं घर व कार्यस्थल दोनों में अपनी भूमिका निभा रही हैं। कामकाज व आर्थिक जरूरतों में पूर्ण योगदान देने के बावजूद उन्हें न तो घरेलू कार्यों से तनिक भी मुक्ति मिली न ही कामकाजी फैसलों में बराबरी का हक। महिलाओं द्वारा कामकाजी होने की खुशी परिवार को होती है लेकिन उसे नौकरी करने हेतु विशेष सुविधाओं के नाम पर अपनी सुख–सुविधा और आजादी में किसी भी प्रकार के बदलाव को बर्दास्त करने हेतु जरा भी राजी नहीं हैं। इसी के कारण कामकाजी महिला के लिए दोहरी भूमिका की लड़ाई को जीत पाना मुश्किल हो जाता है। बदलते समय के अनुसार पुरूषों की सोच भी बदल रही है। अब वो घर के काम भी बिना किसी संकोच के करने लगे है। घर के प्रबन्धन में पत्नि का पूरा सहयोग करने की कोशिश करने लगे है।

परिवारिक परेशानियों की वजह से ही स्त्री व पुरूष दोनों ही एकाकी परिवारों में रहना ज्यादा सुविधाजनक समझने लगे है। महिलाओं को पुरूषों के समान हर क्षेत्र में योगदान व भूमिका महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। हर जगह उसकी उपस्थिति भी समय की मांग है। कामकाजी महिला के सामने एक भूमिका निभाने के लिए दूसरी को छोड़ना पड़े ऐसी परिस्थितियां नहीं आए इसके लिए हमें ही कुछ **प्रयास** करने होगें :–

1. सबसे पहले हमें घर पर ही महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देना होगा। काम न छोड़ने हेतु उन्हें घर में ही प्रोत्साहन व पारिवारिक मदद का आश्वासन भी देना होगा।

2. महिला को सशक्त करके देश की उन्नति का उन्हें हिस्सा बनाना होगा। उसके काम में दोहरे दबाव को
3. कम करने में परिवार को अपनी भूमिका निभानी होगी।
4. दोहरे मोर्चे पर अपने को सिद्ध करने के संघर्ष से जुझती महिला घर व बाहर की भाग–दौड में अपने स्वास्थ्य को नजर अन्दाज कर देती है जबकि उसकी सेहत का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अत : वर्किंग महिला को अपनी सेहत व स्वास्थ्य की अहमियत समझनी होगी।
5. भारत में महिलाओं को सुरक्षित व अनुकूल माहौल मिलना अत्यावश्यक है क्योंकि वर्तमान में सुरक्षा का मुद्दा अहम हो गया है। इसी के चलते महिला द्वारा काम छोड़ने के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे है।
6. महिला को नौकरी के अवसर व सुविधा देने वाले कानूनों के होने मात्र से उन्हें सुरक्षा की गारन्टी नहीं मिलती बल्कि इसके लिए इन्हें सख्ती से लागू करना होगा।
7. स्वयं की आय अपने अनुसार व्यय करने का हक अधिकांश कामकाजी महिलाओं के हाथ में नहीं है जिसके कारण उनमें हताशा व हीनता की भावना उत्पन्न होती है। अतः उसकी कमाई के साथ उसकी इच्छाओं को भी महत्व देना चाहिए क्योंकि स्त्री स्वभावतः निवेशी प्रकृति की होती है। उसके द्वारा की गई छोटी–छोटी बचत परिवार के ही काम आती है।
8. शारीरिक व मानसिक रूप से पुरूषों के समान ही कार्य करने वाली स्त्रियों को समान वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें दोयम दर्जे की तथा पुरूषों से सामर्थ्य में कम मानने वाली सोच को बदलना जरूरी है, ताकि उनके श्रम का शोषण न हो सके।
9. महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों में आर्थिक सशक्तिकरण मील का पत्थर साबित हुआ है। जब तक महिला आर्थिक रूप से समृद्ध, आत्मनिर्भर तथा आर्थिक निर्णय लेने की अधिकारी नहीं होती जब तक सशक्तिकरण के सारे प्रयास आधारहीन होगें।
10. समाज की सोच व इर्द–गिर्द के माहौल का महिला की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाने पर ही स्त्री अपने असली शक्ति स्वरूप को पहचान सकती है तथा समाज निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा सकती है। अत : सामाजिक माहौल को सकारात्मक बनाने के साथ ही समाज के नजरिये में बदलाव लाने की ओर प्रयास करना होगा।

अन्त में कामकाजी महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी सहभागिता के लिए आवश्यक कदम उठाने होगें क्योंकि महिलाओं से सम्बन्धित लगभग सभी समस्याएं परिवार, समाज व कार्यस्थल पर असमानता की भावना के आस–पास ही घूमती है।

नारी शक्ति के बगैर मानवता के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि ''जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि किसी पंछी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है ।'' अतः परिवार हो या देश बिना महिला के सहयोग और साथ के कभी भी उन्नति की उड़ान नहीं भर सकता। ऐसी ही स्थिति दोहरी भुजा स्वरूप घर व कार्यस्थल की जिम्मेदारियों से लदी कामकाजी महिला की होती है। दोनों में संतुलन बने रहने पर ही जीवन की जंग जीती जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *कपूर, प्रमिला, कामकाजी भारतीय नारी, राजपाल एंड संस, नई दिल्ली।*
2. *वर्मा, अंजली, भारत में कार्यशील महिलाएं, ओमेना पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।*
3. *आहूजा, राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।*
4. *नन्दा, बी.आर., इन्डियन वुमेन, विकास पब्लिकेशन्स हाउस, प्रा.लि. दिल्ली।*
5. *कुमार, राधा, स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।*
6. *गौतम, रमेश प्रसाद, मानव अधिकार, विविध आयाम, विश्वविद्यालय प्रकाशन, सागर (म0प्र0) ।*
7. *चट्टोपाध्याय, अरूधंती, भारतीय राज्यों में स्त्री सशक्तिकरण, योजना जून 2012, योजना भवन, नई दिल्ली।*
8. *गाँधी, मेनका संजय, महिलाओं के नेतृत्व में विकास से राष्ट्र का सशक्तिकरण, योजना अक्टूबर 2018, सूचना भवन, नई दिल्ली।*
9. *लूथरा, गीता, महिला सशक्तिकरण : कानूनी प्रावधान, योजना अक्टूबर 2018, सूचना भवन, नई दिल्ली ।*
10. *कुमारी, संगीता, कामकाजी महिलाएं : समस्या एवं समाधान, (वर्तमान परिपेक्ष के संदर्भ में), इन्टरनेशनल जरनल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, 2020 : 6(10) ।*
11. *एन. रूवाली प्रियंका, कु. वन्दना – कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति एवं समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, जरनल ऑफ आचार्य नरेन्द्र देव रिसर्च इन्स्टीट्यूट।*
12. *सिंह, अजय कुमार–महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा, योजना, जून 2012, योजना भवन, नई दिल्ली ।*
13. *योजना, मासिक पत्रिका, स्त्री अधिकारिता , अक्टूबर 2008 ।*
14. *योजना, मासिक पत्रिका, स्त्री सशक्तिकरण, जून 2012 ।*
15. *योजना, मासिक पत्रिका, महिला सशक्तिकरण, अक्टूबर 2018 ।*
16. *गूगल स्कोलर व गूगल ब्राउजर ।*